सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 154 राँची, सोमवार, 25 फरवरी, 2019 (ई०)

### खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

---

संकल्प

30 नवम्बर, 2018

**विषय:- किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु "धान अधिप्राप्ति योजना" के स्वरूप की स्वीकृति के संबंध में।**

**संख्या – खा० प्र०-02-अधि०-02/2018 - 3789,**-- राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 से धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गयी है। विगत् वर्षो की कठिनाईयों को देखते हुए अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए इस योजना का स्वरूप निम्नवत् निर्धारित है।

2. धान अधिप्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं भारतीय खाद्य निगम अधिप्राप्ति एजेंसी होंगे। धान अधिप्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची नोडल अभिकरण होगा।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की अधिप्राप्ति करने हेतु पैक्स (Primary Agriculture Credit Co-operative Societies)/लैम्पस (Large Area Multi Purpose Co-

operative Societies)/कृषक सेवा सहकारी समिति/व्यापार मंडल/ग्रेन गोला, अधिप्राप्ति केन्द्र होंगे। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4. अधिप्राप्ति का कार्य कम्प्युटरीकृत प्रणाली (ई-उपार्जन) के तहत् कराया जायेगा। निबंधित सभी किसानों को SMS/दूरभाष के माध्यम से इस आशय से अवगत कराया जायेगा कि संबंधित अधिप्राप्ति केन्द्रों से संपर्क कर धान बिक्री की तिथि से संबंधित टोकन प्राप्त कर लिया जाय जिस पर टोकन संख्या अंकित रहेगी। जिन किसानों द्वारा टोकन नहीं प्राप्त किया जाता है उन्हें Sequential (क्रमबद्ध) आधार पर धान बिक्री की तिथि हेतु पुनः SMS भेजा जायेगा।

5. खरीफ विपणन मौसम 2018-19 से खरीफ विपणन मौसम 2020-21 तक धान अधिप्राप्ति हेतु प्रमण्डलवार एवं एजेन्सीवार भारत सरकार से निम्न प्रकार अनुमति प्राप्त थी:-

| **प्रमण्डल** | **राजस्व जिला** | **अधिप्राप्ति हेतु प्राधिकृत एजेन्सी** |
|---|---|---|
| पलामू | गढ़वा, लातेहार एवं पलामू | भारतीय खाद्य निगम, राँची /झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची। |
| दक्षिणी छोटानागपुर। | गुमला, खूँटी, लोहरदगा, राँची एवं सिमडेगा | भारतीय खाद्य निगम, राँची द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर। |
| कोल्हान। | सरायकेला-खरसावाँ, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम | भारतीय खाद्य निगम, राँची द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर। |
| उत्तरी छोटानागपुर। | चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा एवं धनबाद। | भारतीय खाद्य निगम, राँची द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर। |
| संथाल परगना।<br>(विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति प्रणाली) | देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज एवं जामताड़ा। | राज्य सरकार/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर। |

परन्तु निविदा असफल हो जाने के कारण प्राईवेट प्लेयर्स का चयन नहीं हो पाया जिसके कारण खरीफ विपणन मौसम 2018-19 में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, कोल्हान प्रमण्डल एवं संथाल परगना प्रमण्डल में धान अधिप्राप्ति का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तथा पलामू प्रमण्डल में धान अधिप्राप्ति का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा।

6. धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा। केन्द्रों के चयन में पूर्व में की गयी अधिप्राप्ति, अन्य उपलब्धियाँ व क्रियाशीलता एवं उसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में आवश्यकतानुसार अधिप्राप्ति केन्द्र खोले जायेंगे। निबंधक सहयोग समितियाँ द्वारा आवश्यक समीक्षा कर जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुशंसित अधिप्राप्ति केन्द्रों की सूची प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड को उपलब्ध कराया जायेगा। अधिप्राप्ति में संलग्न एजेंसी एवं कर्मियों को भारतीय खाद्य निगम एवं गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

7. अधिप्राप्ति एजेन्सियों के बीच कार्य क्षेत्र का बँटवारा भविष्य में आवश्यकतानुसार विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा।

8. प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम के लिए विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

9. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन्सिडेंटल चार्जेज एवं कॉस्ट शीट मान्य होगा एवं इसे संबंधित एजेन्सियों एवं जिला को प्रेषित किया जायेगा।

10. नोडल अभिकरण एवं सभी अधिप्राप्ति एजेन्सियों को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11. संथाल परगना प्रमण्डल के जिलों देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज एवं जामताड़ा में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति प्रणाली के तहत अधिप्राप्ति किया जायेगा।

12. सभी अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा अपने-अपने क्रय क्षेत्र में किसानों द्वारा बिक्री किये गये धान के मूल्य का भुगतान NEFT/RTGs/DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खाता में किया जायेगा।

13. बोरा की व्यवस्था भारत सरकार के मानक के अनुसार अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

14. अधिप्राप्ति केन्द्रों पर नमी मापक यन्त्र, विश्लेषण कीट, डिजिटल वेईंग मशीन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने, धान अधिप्राप्ति हेतु रखे जाने वाले अस्थायी कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि का काम झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरणों, धान अधिप्राप्ति हेतु रखे जाने वाले अस्थायी कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि हेतु राशि का व्यय

झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को पूर्व में उपलब्ध कराये गये "धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान" शीर्ष में उपलब्ध करायी गयी राशि से किया जायेगा।

15. अधिप्राप्ति केन्द्रों पर किसानों को मजदूरों की सुविधा, भुगतान के आधार पर अधिप्राप्ति एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

16. झारखण्ड सी॰एम॰आर॰ नियंत्रण आदेश-2016 के प्रावधानों के तहत राईस मिलों द्वारा प्रत्येक माह अपनी मिलिंग क्षमता का 30 प्रतिशत अधिप्राप्त किये गये धान की मिलिंग करने के पश्चात् ही अपने व्यापारिक कार्यों को किया जायेगा।

जिन मिलों द्वारा प्रत्येक माह अपनी मिलिंग क्षमता का 30 प्रतिशत अधिप्राप्त किये गये धान की मिलिंग करते हुए विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर सी॰एम॰आर॰ जमा कर दिया जायेगा उन राईस मिलों को मिलिंग शुल्क के समतुल्य इनसेंटिव दिया जायेगा। राशि का व्यय झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को पूर्व में "धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान शीर्ष" में उपलब्ध करायी गयी राशि से किया जायेगा।

17. चीनी वितरण योजना हेतु पूर्व में विभाग द्वारा Revolving Fund के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि में से रूपये 200.00 करोड़ धान अधिप्राप्ति योजना के निमित्त झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा Revolving Fund के रूप में उपयोग में लाया जायेगा जिसकी प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम/भारत सरकार द्वारा की जाती है। इस हेतु अतिरिक्त राशि का प्रावधान नहीं किया जाना है।

18. भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्ति का कार्य अपने साख के आधार पर किया जायेगा। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय भार नहीं पडेगा।

19. धान के परिवहन का कार्य जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से चयनित परिवहनकर्ताओं द्वारा या डोर स्टेप डिलिवरी के परिवहनकर्ताओं या झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के परिवहनकर्ताओं द्वारा किया जायेगा। परिवहन में भारत सरकार द्वारा देय राशि से अधिक परिवहन व्यय होने की स्थिति में अंतर राशि की प्रतिपूर्ति किया जायेगा।

उक्त का व्यय झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को पूर्व में "धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान" शीर्ष में उपलब्ध करायी गयी राशि से किया जायेगा। परिवहनकर्ताओं द्वारा प्रत्येक दिन केन्द्रों से धान का उठाव कर निर्धारित एवं सम्बद्ध भण्डार गृहों में पहुँचाया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार उक्त भण्डार गृहों से सम्बद्ध मिलों तक पहुँचाया जायेगा। अधिप्राप्त धान का भण्डारण हेतु पैक्स/लैम्पस के भण्डार गृहों के अतिरिक्त बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध भण्डार गृहों/निजी भण्डार गृहों को उपयोग में लाया जायेगा। बाजार समिति के प्रांगण में उपलब्ध गोदामों में भंडारित धान की देख-रेख की व्यवस्था जिला अनुश्रवण समिति द्वारा की जायेगी। भारतीय खाद्य निगम/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा नियमित रूप से CMR लिया जायेगा ताकि भण्डारण की समस्या उत्पन्न न हो। CMR का परिवहन राईस मिलरों/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

20. क्रय केन्द्रों पर उपायुक्त द्वारा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जन सेवक एवं कृषि मित्रों आदि की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा धान की गुणवत्ता की जाँच तथा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी एवं जन सेवक द्वारा धान की मात्रा/वजन की जाँच की जायेगी। प्रत्येक केन्द्र पर धान के उठाव के दौरान मिलर के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी ताकि धान की मात्रा/वजन एवं गुणवत्ता का सत्यापन हो सके अन्यथा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित गुणवत्ता एवं वजन राईस मिलरों को मान्य होगा। प्रत्येक अधिप्राप्ति केन्द्र पर उपायुक्त द्वारा अनिवार्य रूप से एक पर्यवेक्षक स्तर के कर्मी एवं एक कृषि मित्र की स्थायी प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

21. इंफोर्समेंट सर्टिफिकेट जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य निगम द्वारा मिल में तैयार सी॰एम॰आर॰ के आधार पर ससमय निर्गत किया जाएगा। इस कार्य में विलम्ब के लिए जिला प्रबंधक पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाएगी। चावल मिल का निबंधन एवं अधिप्राप्ति केन्द्रों के साथ सम्बद्धता का कार्य जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की अनुशंसा के आलोक में किया जायेगा। इसके लिए जिला में स्थित मिल विहित प्रपत्र में आवदेन संबंधित जिलों के उपायुक्त कार्यालय में जमा करेंगे। भौतिक सत्यापन के पश्चात् जिला आपूर्ति पदाधिकारी इस योजनान्तर्गत् निबंधन करते हुए विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे। नोड्ल अभिकरण के जिला प्रबंधक द्वारा निबंधित मिल के साथ विहित प्रपत्र में अनुबंध किया जाएगा।

22. विपत्र की तैयारी हेतु वांछित कागजात का संग्रहण नोड्ल अभिकरण के जिला प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा। जिला प्रबंधक तत्परतापूर्वक विपत्र तैयार कर एफ॰सी॰आई॰/भारत सरकार को प्रेषित करेंगे तथा भुगतान के लिए लगातार सम्पर्क स्थापित करेंगे। किसानों को उनके धान की कीमत का भुगतान का ब्योरा, लेखा एवं धान की मात्रा की विवरणी संधारण की जिम्मेवारी जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी। भारतीय खाद्य निगम/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को आपूर्ति किये जाने वाले चावल से संबंधित खर्च का ब्योरा, लेखा एवं सी॰एम॰आर॰ की मात्रा की सारी जिम्मेवारी नोडल अभिकरण की होगी। उपरोक्त दोनों कार्य जिला आपूर्ति पदाधिकारी की देख-रेख एवं पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।''

23. अंकेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में नियमानुसार किया जायेगा। केन्द्रवार ससमय लेखा संधारण एवं अंकेक्षण का कार्य इस प्रकार कराया जाएगा कि अगले खरीफ विपणन मौसम में अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व गत वर्ष के योजना का लेखा तैयार हो जाए।

24. अनुश्रवण हेतु राज्य जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर धान अधिप्राप्ति योजना अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है।

**राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति**

| | |
|---|---|
| विभागीय मंत्री | - अध्यक्ष |
| विकास आयुक्त | - सदस्य। |
| सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग | - सदस्य |
| सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग | - सदस्य |
| निबंधक, सहयोग समितियाँ | - सदस्य |
| विशेष सचिव/अपर सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग। | - सदस्य |
| संयुक्त सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग | - सदस्य |
| महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम | - सदस्य |
| प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि० | - सदस्य |
| उप सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग | - सदस्य |

यह समिति सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी।

**जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति**

| | |
|---|---|
| उपायुक्त | - अध्यक्ष |
| अपर समाहर्ता | - सदस्य |
| जिला आपूर्ति पदाधिकारी | - सदस्य |
| जिला सहकारिता पदाधिकारी | - सदस्य |
| जिला कृषि पदाधिकारी | - सदस्य |
| जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम | - सदस्य |
| जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि० | - सदस्य सचिव |
| महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र | - सदस्य |
| क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् | - सदस्य |

यह समिति सम्पूर्ण योजना का जिला स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी।

**प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति**

| | |
|---|---|
| प्रखंड विकास पदाधिकारी | - अध्यक्ष |
| प्रखंड आपूर्ति/पणन पदाधिकारी | - सदस्य |
| प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी | - सदस्य |
| प्रखंड कृषि पदाधिकारी | - सदस्य |
| राजस्व कर्मचारी | - सदस्य |
| अध्यक्ष/संचालक एवं सहायक प्रबंधक सभी धान अधिप्राप्ति केन्द्र | - सदस्य |

यह समिति सम्पूर्ण योजना का प्रखण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी।

25. अधिप्राप्ति योजना के अनुश्रवण हेतु सभी स्टेक होल्डर्स के साथ अपर समाहर्ता द्वारा प्रतिदिन एवं उपायुक्त द्वारा सप्ताहिक बैठक आयोजित की जायेगी। राज्य स्तर पर सतत् अनुश्रवण

हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा एक मोनेटरिंग सेल (अनुश्रवण कोषांग) का गठन किया जायेगा।

26. अधिप्राप्ति योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने हेतु इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिन्ट मिडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

27. धान अधिप्राप्ति से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प निरस्त किये जाते हैं।

28. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.11.2018 की बैठक की मद संख्या-07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

ह०/-

**अमिताभ कौशल,**

सरकार के सचिव।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 154 -- 100